PUBLIC NOTICE

In compliance to the Section 86, 62 of the Electricity Act, 2003 and applicable Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC) (Terms and conditions for Determination of Tariff according to Multi Year Tariff Principle, Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from the Tariff and Charges) Regulations, 2021, M/s. Bharat Aluminium Company Limited (BALCO) has filed a petition before Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC), for determination of Variable Cost of the 4×300 MW Coal Based Power Project at Village-Risda, Tehsil Korba in Korba District, Chhattisgarh, is supplying five percent (5%) of net generated power at (variable cost) to Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited (CSPDCL) for FY 2023-24. This petition is registered as petition no.82 of 2024.

In this petition, M/s. BALCO has requested CSERC to approve Energy charge rate of 231.40 paisa/ kWh, being energy charges in FY 2023-24 on a provisional basis, for supply of power to CSPDCL along with of reimbursable expenses.

Persons intending to file Objections / suggestions, on the above petition, may submit the same to Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur – 492001 (CG), E-mail: cserc.sec.cg@nic.in and/or copy to petitioner office at Head, Power Sales, M/s. Bharat Aluminium Company Limited (BALCO), Administration Building, 3rd Floor, BALCO Nagar, Korba (Chhattisgarh)-495684, Email – www.balcoindia.com within 21 days of publication of this notice.

Copy of this notice and the petition are available on the Commission's website www.cserc.gov.in. Hardcopy of the aforesaid petition is also available in office of the Commission and same can be purchased by paying an amount of Rs. 250/- from 11 AM to 4 PM on any working day. The copy of the petition may also be obtained by post by paying an additional amount of Rs. 50/- as postal expenses. The Commission shall also conduct public hearing on the above petition for which place, date and time shall be notified separately through newspapers.

Head, Power Sales

आमसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् नियामक आयोग के छ.रा.वि.नि.आ. (बहुवर्षीय टैरिफ के सिधान्तो के अनुरूप टैरिफ निर्धारण की निबंधन एवं शर्तें तथा दरों और प्रभारों से अनुमानित राजस्व के निर्धारण हेतु पद्यति और प्रक्रिया) विनियम, 2021 के प्रावधानों के तहत भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड गांव रिसदा द्वारा कोरबा में स्थापित 4x300 MW कोयला आधारित ताप विद्युत् उत्पादन केंद्र हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए परिवर्तनीय लागत (वेरिएबल कॉस्ट) के निर्धारण हेतु आयोग के समक्ष याचिका (क्रमांक 82/2024) प्रस्तुत की गयी है , छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को विद्युत खरीद समझौते ;पीपीएद्ध दिनांक 19.01.2015 के तहत बिजली आपूर्ति के उद्देश्य हेतु ः

भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने सञ्चालन हेतु मानदंडों के अनुसार आयोग के समक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को 2023-24 में 231.40 पैसे प्रति kWh पर विद्युत् आपूर्ति,वास्तविक आधार पर दिया गया, कर और यथा प्रयोज्य ड्यूटी आदि, कार्यशील पूँजी पर ब्याज, आवेदन दाखिल करने का वास्तविक शुल्क एवं प्रकाशन व्यय एवं वेरिएबल कॉस्ट के अन्य यथा प्रयोज्य घटक की अनुमति लेने हेतु ये याचिका दाखिल की है। यह विद्युत् दर बालको द्वारा आयोग के समक्ष की गयी किसी भी अतिरिक्त प्रस्तुति के आधीन है।

उपरोक्त याचिका प्रति कंपनी की वेबसाइट www.balcoindia.com एवं आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.inपर भी उपलब्ध रहेगी।

उपरोक्त याचिका पर सुझाव / आपत्ति, इस आमसूचना के जारी होने के 21 दिवस के भीतर विद्युत् विक्रय, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, तृतीय मंजिल, बालको नगर, कोरबा, छत्तीसगढ़– 495684 एवं सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् नियामक आयोग, के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। सुझाव/आपत्तियों/दृष्टिकोण की अग्रिम प्रति भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड को एवं आयोग को उपरोक्त पते पर भेजी जा सकती है। जन सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा सकती है।

विद्युत् विक्रय,भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड